तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
दिनांक 3/9/24	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी संख्या 04, 05 व 06 ने उपस्थित होकर प्रकरण में दिनांक 13.06.2023 को ग्राम पांसल पटवार हल्का पांसल प्रथम भू०अ०नि० क्षेत्र पांसल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा की वादग्रस्त आराजियात खाता संख्या 1087 में अभिलिखित आराजी सं. 1511/2, आराजी सं. 1512/2, आराजी सं. 1514, आराजी सं. 1515, आराजी सं. 1519, आराजी सं. 1524, आराजी स. 3001/2, आराजी सं. 3009, आराजी सं. 3014, आराजी सं. 3017, खाता संख्या 1086 में अभिलिखित आराजी सं. 1546, खाता संख्या 2235 में अभिलिखित आराजी सं. 2924 तथा खाता संख्या 2292 में अभिलिखित आराजी सं. 2929 के सम्बन्ध में प्रार्थीगण के हक हिस्से तक विपक्षीगण के विरूद्ध अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनांक 12.07.2023 तक मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजियात से बेदखल नहीं करें न ही किसी अन्य से करावें आदेश पारित किया गया। विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 06 वादग्रस्त आराजियात का संयुक्त खातेदार होने से विपक्षी संख्या 04, 05 व 06 ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को समाप्त कराने की प्रार्थना की है। अतः दिनांक 13.06.2023 के आदेश में अंकित आराजियात के सम्बन्ध में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को तक समाप्त किया जाता है। प्रकरण दिनांक 9/10/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा	
9/10/24	पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्राबली साबिक आदेश दिनांक 15/1/25 को पेश हो। आदेश से रीडर	
15/1/25	पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 24/1/25 को पेश हो। आदेश से रीडर	

24-01-25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता को तीन बार आवाज लगायी गयी। परन्तु उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रकरण प्रार्थी की अदम हाजरी व प्रार्थी अधिवक्ता की अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण फैशल कुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा